भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2346

13 फरवरी, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुष्मान आरोग्य मंदिर 'आयुष'

2346. श्री बाल्या मामा सुरेश गोपीनाथ म्हात्रे:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) के अंतर्गत अब तक स्थापित आयुष्मान आरोग्य मंदिर (आयुष) की राज्यवार/संघ राज्यक्षेत्रवार कुल संख्या कितनी है और इन केंद्रों से अब तक सेवा प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का श्रमिकों की स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के समाधान करने और एक व्यापक स्वास्थ्य सेवा मॉडल स्थापित करने के उद्देश्य से महाराष्ट्र के भिवंडी जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में आयुष्मान आरोग्य मंदिर (आयुष) स्थापित करने का विचार है।

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं।

(घ) क्या सरकार ने इन केंद्रों के जन स्वास्थ्य पर प्रभाव का कोई आकलन/मूल्यांकन किया है और ऐसे मूल्यांकनों के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में आयुष सेवाओं की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क): केंद्रीय प्रायोजित योजना नामतः राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) के अंतर्गत, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों से उनकी राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं (एसएएपी) के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार, 12500 मौजूदा आयुष औषधालयों और उप स्वास्थ्य केंद्रों (एससी) को आयुष स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों के रूप में उन्नत किया गया है, जिनका नाम बदलकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर (आयुष) [(एएएम(आयुष)] कर दिया गया है। अनुमोदित और कार्यशील एएएम (आयुष) की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्थिति **संलग्नक-I** पर दी गई है। इसके अतिरिक्त, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, वर्ष 2021 से 2025 तक एएएम (आयुष) के माध्यम से सेवाओं का लाभ उठाने वाले लाभार्थियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या **संलग्नक-II** पर दी गई है।

(ख) और (ग): जन स्वास्थ्य राज्य का विषय होने के कारण, महाराष्ट्र के भिवंडी जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिकों की स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान और एक व्यापक स्वास्थ्य सेवा मॉडल स्थापित करने के लिए एएएम (आयुष) की स्थापना की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार की है। महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, भिवंडी के औद्योगिक क्षेत्र के निकट स्थित श्रमिकों की स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान के लिए एक एएएम (आयुष) प्राथमिक स्वास्थ्य इकाई (पीएचयू) ग्राम कुंडा, ब्लॉक भिवंडी, जिला ठाणे में स्थित है और उप जिला अस्पताल, भिवंडी और ग्रामीण अस्पताल अंबाडिफाटा ब्लॉक भिवंडी, जिला ठाणे में भी सह-स्थापित आयुष विंग कार्यशील हैं।

(घ) और (ङ): जी हाँ। विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्थापित एएएम (आयुष) द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न गतिविधियों/सेवाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा के लिए केंद्रीय दल द्वारा तृतीय-पक्ष समीक्षा और एनएबीएच मूल्यांकन के अलावा दौरे भी किए जाते हैं। इन संस्थाओं को आयुष सिद्धांतों और प्रथाओं पर आधारित एक समग्र स्वास्थ्य मॉडल स्थापित करने के उद्देश्य से अनुमोदित किया गया था, जो निवारक, प्रोत्साहक, उपचारात्मक और पुनर्वास स्वास्थ्य देखभाल पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य मौजूदा जन स्वास्थ्य पद्धति के साथ एकीकरण स्थापित करके जरूरतमंद जनता को सूचित विकल्प प्रदान करना और टीम आधारित दृष्टिकोण में आयुष सेवाएं उपलब्ध कराना है।

दौरा करने वाली टीमों ने पाया है कि आयुष औषधालयों/उप स्वास्थ्य केंद्रों को एएएम (आयुष) के रूप में उन्नत किए जाने के बाद से एएएम (आयुष) में आने वाले लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि हुई है। इसका कारण यह है कि ओपीडी सेवाओं के अतिरिक्त, ये केंद्र प्रकृति परीक्षण, योग संबंधी गतिविधियाँ, सामान्य औषधीय पादपों के उपयोग के बारे में जागरूकता आदि जैसी कई अन्य सेवाएं भी प्रदान कर रहे हैं। इसके अलावा, दौरा करने वाली टीम ने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को एएएम (आयुष) टीम के लिए उचित प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, अन्य जन स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ रेफरल संबंधों को मजबूत करने, जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं, विशेष रूप से आशा कार्यकर्ताओं आदि की प्रभावी भागीदारी का सुझाव दिया है, ताकि एएएम (आयुष) के माध्यम से संचालित गतिविधियों के बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकें।

*****

संलग्नक-I

अनुमोदित और कार्यशील आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एएएम) (आयुष) और उनके लाभार्थियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्थिति

क्र.सं.	**राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम**	**अनुमोदित एएएम (आयुष)**	**कार्यशील एएएम (आयुष)**
1	अंडमान और निकोबार द्वीप	6	6
2	आंध्र प्रदेश	126	126
3	अरुणाचल प्रदेश	89	89
4	असम	500	500
5	बिहार	294	294
6	चंडीगढ़	12	12
7	छत्तीसगढ़	400	400
8	दिल्ली	0	0
9	दादरा व नागर हवेली और दमन व दीव	1	1
10	गोवा	100	100
11	गुजरात	365	365
12	हरियाणा	538	538
13	हिमाचल प्रदेश	740	740
14	जम्मू-कश्मीर	523	523
15	झारखंड	745	745
16	कर्नाटक	376	376
17	केरल	700	700
18	लद्दाख	0	0
19	लक्षद्वीप	7	7
20	मध्य प्रदेश	800	800
21	**महाराष्ट्र**	**390**	**390**
22	मणिपुर	15	15
23	मेघालय	45	45
24	मिजोरम	41	41
25	नागालैंड	49	49
26	ओडिशा	422	422
27	पुडुचेरी	4	4
28	पंजाब	158	158
29	राजस्थान	2019	2019
30	सिक्किम	18	18
31	तमिलनाडु	650	650
32	तेलंगाना	421	421
33	त्रिपुरा	72	72
34	उत्तर प्रदेश	1034	1034
35	उत्तराखंड	300	300
36	पश्चिम बंगाल	540	540
कुल		**12500**	**12500**

संलग्नक-II

वर्ष 2021 से 2025 तक एएएम (आयुष) के माध्यम से सेवाओं का लाभ प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2021	2022	2023	2024	2025	कुल
1	अंडमान और निकोबार द्वीप	0	11090	7982	9181	10648	38901
2	आंध्र प्रदेश	0	404115	703804	713523	617043	2438485
3	अरुणाचल प्रदेश	1401	25278	55348	71249	78589	231865
4	असम	0	28092	313319	3343870	6567817	10253098
5	बिहार	103269	194960	231661	291037	740783	1561710
6	चंडीगढ़	142899	200235	127474	120426	108832	699866
7	छत्तीसगढ़	140285	1281136	2356871	2346115	2483446	8607853
8	दादरा व नगर हवेली व दमन और दीव	0	0	2670	26912	26648	56230
9	दिल्ली	0	0	0	0	0	0
10	गोवा	19180	53324	254962	366284	360763	1054513
11	गुजरात	951290	1578001	6333646	5807405	1652306	16322648
12	हरियाणा	2322803	2514230	2658480	2473949	3516138	13485600
13	हिमाचल प्रदेश	588655	736738	2331404	2342366	2523856	8523019
14	जम्मू-कश्मीर	0	2685966	3018269	2412595	2222007	10338837
15	झारखंड	123705	187363	1487747	2691204	3007433	7497452
16	कर्नाटक	606296	763257	1660552	1896859	1833580	6760544
17	केरल	1525596	5829043	6672089	8344225	7256661	29627614
18	लद्दाख	0	0	0	0	0	0
19	लक्षद्वीप	8726	38515	55723	42215	52428	197607
20	मध्य प्रदेश	1274788	1601107	2590895	4611884	5592863	15671537
21	महाराष्ट्र	726140	764615	1073779	1517652	2072216	6154402
22	मणिपुर	737	946	5301	13853	21617	42454
23	मेघालय	0	0	37950	52198	85332	175480
24	मिजोरम	10060	34195	94639	126325	134773	399992
25	नागालैंड	1498	21480	38444	40948	46224	148594
26	ओडिशा	901085	6820072	1732981	2595883	2871953	14921974
27	पुडुचेरी	35557	57237	58978	62705	36344	250821
28	पंजाब	0	0	0	767453	769821	1537274
29	राजस्थान	1775405	8396431	17740280	39066293	48319142	115297551
30	सिक्किम	20778	35094	44061	47806	52697	200436
31	तमिलनाडु	30555959	25456637	11287166	13826356	14331878	95457996
32	तेलंगाना	3833738	2358802	2913265	2061093	1858894	13025792
33	त्रिपुरा	0	0	55385	103439	155071	313895
34	उत्तर प्रदेश	3759536	13245767	16445963	12427257	12058512	57937035
35	उत्तराखंड	163669	445740	1706811	1352831	1181869	4850920
36	पश्चिम बंगाल	1164213	8431205	4816907	3677126	3827432	21916883
	कुल	**50757268**	**84200671**	**88914806**	**115650517**	**126475616**	**465998878**